लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़
खण्ड-3, प्रथम तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
फोन नम्बर- 0771-2331385,Email Id-cg.dpi.dir@gmail.com

File No.: ESTB-107/27/I/477663/2026 Date19-06-2026

// आदेश //

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/इएसटीबी/107/27/2025/नवा रायपुर, दिनांक 19.06.2025 के द्वारा दिनांक 01.04.2023, 01.04.2024 एवं 01.04.2025 की स्थिति में सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों की अनंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया गया है।

उक्त वरिष्ठता सूची प्रकाशन उपरांत श्री मनीश शर्मा, श्री प्रकाश चन्द्र मिश्र, श्री अनिल केशरवानी, श्री हरिकृष्ण नायक, श्री अखिलेश कुमार तिवारी, श्री कृपाल सिंह पैंकरा, श्री द्वारिका प्रसाद पटेल, श्री राजेन्द्र टण्डन, श्री मुकेश अग्रवा, श्री आलोक चांडक एवं श्री राम कुमार साहू, सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 31.07.2025 को वरिष्ठता के दावा आपत्तियों के संबंध में निम्नानुसार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया हैः-

1. यह कि छ०ग० लोक सेवा आयोग के माध्यम से सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों की सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्ति की गई है। उक्त पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंको को मिलाकर अंतिम चयन सूची (प्राविण्य सूची) प्रकाशित की गई उसके उपरांत नियमानुसार मुख्य सूची एवं अनुपूरक सूची के नियुक्ति आदेश जारी किए गए है। आवेदकों की नियुक्ति हेतु जारी आदेश क्रमांक एफ 1-10/2015/20-एफ नवा रायपुर दिनांक 11.04.2025 (परिशिष्ट-01) के कण्डिका-06 में वरिष्ठता का निर्धारण छ०ग० सिविल सेवा (सेवा की समान शर्तें) नियम 1961 के अनुसार किया जाना प्रावधानित किया गया है।

2. संदर्भित पत्र के माध्यम से दिनांक 01.04.2025 की स्थिति में जारी सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता का निर्धारण सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी हेतु जारी नियुक्ति आदेश के अनुसार की गई है। जबकि हमारी वरिष्ठता का निर्धारण छ०ग० लोक सेवा आयोग द्वारा जारी हमारी योग्यता क्रम (मेरिट / प्रावीण्य सूची) के अनुसार किया जाना चाहिए।इस संबंध में छ०ग० सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 के नियम 12 (1) (क) में प्रावधान है कि ष्नियमों के अनुसार किसी पद पर सीधे नियुक्त किसी व्यक्ति की वरिष्ठता पदग्रहण की तारीख का विचार किये बिना उस योग्यता क्रम के आधार पर अवधारित की जायेगी, जिसमें नियुक्ति के लिये उनकी सिफारिश की गई है।

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि छ०ग० लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति हेतु सिफारिश उनके द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर प्रावीण्य सूची 2013 के माध्यम से किए जाने उपरांत उनके नियुक्ति आदेश जारी किये गए अतः वरिष्ठता क्रम का निर्धारण प्रावीण्य सूची 2013 के अनुसार नियमानुसार किया जाना चाहिए था, किन्तु ऐसा नहीं किया गया है। अतः करबद्ध निवेदन है कि दिनांक 01.04.2023, 01.04.2024 एवं 01.04.2025 की स्थिति में वरिष्ठता का निर्धारण सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों के प्राप्त अंक के आधार पर प्राविण्या सूची 2013 के अनुसार किए जाने अनुरोध है।

अभ्यावेदकों द्वारा दावे के समर्थन में निम्नानुसार कथन किया गया हैः-

01/ इस संबंध में पंचायत विभाग के सहायक विकास विस्तार अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण व्यापम द्वारा जारी प्रावीण्य सूची के क्रम किया गया है तथा सहायक विकास विस्तार हेतु जारी आदेश अनुसार वरिष्ठता निर्धारित किए जाने की मांग को मान्य नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि वरिष्ठता का निर्धारण अंतिम प्राप्त अंको की प्रावीण्यसूची के अनुसार ही नियमानुसार की जानी है।

02/ राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की 01/04/2024 की स्थिति में जारी वरिष्ठता सूची के स. क्र. 25 श्री तीर्थराज अग्रवाल, 26 श्री अजय अग्रवाल एवं 53 श्री टेकचंद अग्रवाल जो अनुपूरक (प्रतिक्षा) सूची से नियुक्त हुए हैं उनकी वरिष्ठता का निर्धारण प्रावीण्य सूची के अनुसार किया गया है। वरिष्ठता क्र. 53 श्री टेकचंद अग्रवाल (संलग्न पेज नं) का प्रावीण्य सूची में क्रम 15 है।वरिष्ठता सूची में इन्हे श्री अविनाश भोई से उपर स्थान दिया गया है। श्री टेकचंद अग्रवाल का चयन 2008 के अनुपूरक सूची से हुआ है।उक्त अधिकारियों की दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में जारी वरिष्ठता सूची में इनका क्रम 33 श्री तीर्थराज अग्रवाल, 34 श्री अजय अग्रवाल एवं 72 श्री टेक चन्द अग्रवाल था। जिनमें वर्ष 2024 की वरिष्ठता सूची में उपरोक्तानुसार संशोधन किया गया है।

अतः महोदय से निवेदन है कि छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 (1) (क) के प्रावधानों के अनुरूप हमारी वरिष्ठता का निर्धारण छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा जारी प्रावीण्य सूची 2013 के अनुसार किया जाये एवं दिनांक 01.04.2023, 01.04.2024 एवं 01.04.2025 की स्थिति में अभ्यावेदकगण वरिष्ठता सूची में संशोधन हेतु दावा आपत्ति प्रस्तुत किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय का अधिसूचना क्रमांक एफ सी-3-84-92-3-एक, दिनांक 02.04.1998 द्वारा वरिष्ठता के संबंध में निर्देश जारी किया गया है, जिसके नियम-12 के (1) सीधी भरती किये गये तथा पदोन्नत हुए व्यक्तियों की वरिष्ठता (क) नियमों के अनुसार किसी पद पर सीधे नियुक्ति किसी व्यक्ति की वरिष्ठता पदग्रहण की तारीख का विचार किये बिना उस योग्यता क्रम के आधार पर अवधारित की जायेगी, जिसमें नियुक्ति के लिए उनकी सिफारिश की गई है। पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चतवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होंगे।

संबंधितों की नियुक्ति छ.ग.लोक सेवा आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक 523/127/चयन/2014, रायपुर, दिनांक 28.10.2014 के द्वारा प्रेषित चयन सूची की अनुपूरक सूची से चयनित होकर पश्चातवर्ती चयन के फलस्वरूप नियुक्त हुए है, ऐसी स्थिति में इन्हें मुख्य सूची के माध्यम से पूर्ववर्ती चयन के फलस्वरूप नियुक्त अभ्यर्थियों के समान वरिष्ठता प्रदान किया जाना संभव नहीं है।

संबंधितों द्वारा वरिष्ठता सूची में संशोधन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन उपरोक्त नियम अनुसार पोषणीय नहीं होने के कारण अमान्य किया जाता है।

Digitally signed by
RITURAJ RAGHUVANSHI
Date: 19-06-2026
13:52:24

सचिवलेक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

File No.: ESTB-107/27/I/477663/2026 Date19-06-2026

प्रतिलिपिः-

1.सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय-महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
2.संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, छ.ग.।
3.संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, छ.ग.।
4.सहायक संचालक, विधि (स्थानीय)।
5.संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, छ.ग.।
6.सर्व संबंधित .....
की ओर सूचनार्थ।

सही/-

संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़